




# LABOUR DEPARTMENT HARYANA

[Home](#)[About](#) ▾[Labour laws](#)[Duties And Functions](#) ▾[RTS](#)[BRAP](#) ▾[E-Services](#) ▾[Miscellaneous](#) ▾[SO](#)

» [Scheme Detail / इस योजना का विस्तार](#)

[Home \(मुख्य पृष्ठ\)](#) > [Scheme detail \(इस योजना का विस्तार\)](#)

## मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)



### Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

ऋण 2,00,000 रुपये तक

निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण।

लाभ प्राप्त करने की शर्तः

1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
2. कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
3. यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।

### Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

### Benefits / लाभ

Rs.200000

### Process / प्रक्रिया

#### Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

### Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » [कोचिंग कक्षाओं के लिए विर्ति वित्तीय सहायता](#)
- » [व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाएँ नियम 53 सुविधा हेतु वित्तीय सहायता](#)
- » [विधवा पैशन](#)
- » [कामगारों के मेधावी बच्चों \(छात्रों\) के लिए प्रोत्ताहन राशी \(10वीं और 12वीं\)](#)
- » [प्रोफेशनलटेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता](#)
- » [शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता \(नियम 6\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(शादी के तीन दिन पूर्व\) \(नियम 61\)](#)
- » [मातृत्व लाभ \(नियम 50\)](#)
- » [पितृत्व लाभ \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [औजार \(ट्रूल किट\) खरीदने हेतु उपदान \(नियम 55\)](#)
- » [मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [सिलाई मशीन योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [साइकिल योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [कन्यादान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(नियम 61\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुपु \(नियम 61\)](#)
- » [पैतृक घर जाने पर किराया \(धारा 22\(1\)\)](#)
- » [मुफ्त भ्रमण सुविधा \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अंपगता सहायता \(नियम 59\)](#)
- » [अंपगता पैशन \(नियम 54\)](#)
- » [चिकित्सा सहायता \(मजदूरी क्षतिपूर्ति\) \(नियम 59\)](#)
- » [घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण \(नियम 53\)](#)
- » [पेशन की योजना \(नियम 51\)](#)
- » [परिवारिक पैशन \(नियम 62\)](#)
- » [मुख्यमंत्री सामिक सुरक्षा योजना \(नियम 57\)](#)
- » [मृत्यु सहायता \(नियम 57\)](#)
- » [दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता \(नियम 56\)](#)

» अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1) (h))

**Head Office**

Labour Department,Haryana  
30 Bays Building, Sector 17,  
Chandigarh - 160 017

Haryana Labour Welfare Board and  
HBOCW Board  
Bays No. 29-30 (Pocket-II)  
Sector-4, Panchkula - 134 112

**CONTACT US****Phone No.**

**Head Office :** 0172-2701373  
**ALC NCR :** 0124-2301138  
**IT Cell - HQ:** 0172-2971057

**Haryana Labour Welfare Board :**  
**Landline :** 0172-2560226  
**Toll Free :** 1800-180-4818

**HBOCWW Board :**

**Landline :** 0172-2575300  
**Toll Free :** 1800-180-2129

**SARAL Helpline:** 0172-3968400  
**Website :** <https://saralharyana.gov.in>

**Email:**

**For Non Technical Support :**  
[labourcommissioner@hry.nic.in](mailto:labourcommissioner@hry.nic.in)

**For Technical Support :**

**Labour Department :** [mailitcelllabour@gmail.com](mailto:mailitcelllabour@gmail.com)  
**HLWB :** [hlwbgrivance@gmail.com](mailto:hlwbgrivance@gmail.com)  
**HBOCWWB :** [hbocwwb@gmail.com](mailto:hbocwwb@gmail.com)



All rights reserved - Labour Department, Haryana